

कार्यालय संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल—शिक्षा जोधपुर

पुलिस लाईन रातानाडा के सामने, जोधपुर (राजस्थान) दूरभाष 0291-2511091

ई-मेल jdsejodhpur@gmail.com

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) पद हेतु भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 के चयनित अभ्यर्थियों में से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./विभिन्न विषय/रिशफल आवंटन/2020 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एसबीसी रिट संख्या 5853/2019 दिनेश चौधरी व अन्य बनाम में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022 की अनुपालना में उक्त परीक्षा के अन्तर्गत अप्राप्त/वेकैन्ट अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रहें पदों के विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्रांक एफ6(1) परीक्षा/व0अ0(मा.शि.)/2016-17/संस्कृत/734 दिनांक 13.04.2023 एवं 967 दिनांक 15.05.2023 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2016 – विषय संस्कृत (टीएसपी/नॉन टीएसपी) में मुख्य सूची से चयनित को स्पष्ट पात्र मानते हुए अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जोधपुर सम्भाग में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निर्देशानुसार पदस्थापन स्थान आवंटित करने के लिए दिनांक 21.07.2023 को परामर्श शिविर आयोजित कर चयनित एवं आवंटित अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक— संस्कृत (नॉन टीएसपी) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल 11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26,500/- (छब्बीस हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत (समान पद न हो) होने की स्थिति में परीक्षा अनुज्ञा प्राप्त कर विधिवत कार्यमुक्त हुए एवं नियमित वेतनमान प्राप्त कर रहे कार्मिक को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार विद्यमान वेतनमान अन्तर्गत नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनका पदस्थापन निम्नानुसार शर्तों के अध्याधीन किया जाता है:-

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियाँ की जावेगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
5. वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2016 में दी जाने वाली नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 28/2023 आयोग बनाम दिनेश कुमार चौधरी व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय एवं इस संबंध में अन्य दायर/विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होंगी।

संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्केन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से अंकित फोटो का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विविधत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है", अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।
7. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1— बंजारा, बालदिया, लबाना, 2— गाडिया, लोहार व गाडोलिया, 3— गूजर, गुर्जर, 4— राईका, रेबारी (देबासी), 5— गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचन बद्धता अवश्य प्राप्त करें।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
11. भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित **NOC for Civil Job, NOC for Higher Education, Retirement Diary, PPO** ए दोहरे लाभ संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र एवं नियुक्ति पूर्व नियोक्ता को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के पदों हेतु भरे हुए आवेदन की सूचना आदि दस्तावेज प्राप्त करते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र, पत्र आदि को दृष्टिगत रखते हुए कार्यग्रहण संबंधी कार्यवाही सम्पादित करावे। आयोग द्वारा भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अधीन प्रोविजनल प्रेषित की गई हैं, अतः इन अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन पश्चात् नियुक्ति एवं पदस्थापन माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अधीन प्रोविजनल ही किया जा रहा है। नियम/शासन की अधिसूचना की शर्तें पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
12. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
13. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
14. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (**Undertaking**) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 14.08.2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल **jd.jod.estt@gmail.com** पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(प्रेमचन्द्र सांखला)
संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा जोधपुर

क्रमांक:—ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईए/आरपीएससी 2016 रिशफल/व0अ0 संस्कृत/23/837 दिनांक:— 21.07.2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/प्रारंभिक शिक्षा एवं प. राज (प्रा.शि.), राजस्थान, बीकानेर।
3. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को नियुक्ति/पदस्थापन आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाडमेर को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित सीबीईओ के माध्यम से विद्यालयों में भिजवाए जाने की व्यवस्था करें।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बायतु बाडमेर।
7. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ को देकर निर्देशित किया जाता है कि इनके मूल आवेदन पत्र संबंधित सीबीईओ कार्यालय से प्राप्त कर इनके मूल आवेदन पत्र इनकी निजी पंजिका में नत्थी करें।
8. संबंधित आशार्थी द्वारा विभागीय वेबसाईट के लिंक <https://educationsector.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary-education/en/JDOffices/JDJodhpur/academicposting.html#> का उपयोग कर नियुक्ति पर पदस्थापन आदेश डाउनलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(प्रेमचन्द्र सांखला)
संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा जोधपुर



कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर

पुलिस लाईन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राजस्थान

क्रमांक:-ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईए/आरपीएससी 2016 रिशफल/व0अ0 संस्कृत/23/837 दिनांक:- 21.07.2023

विषय – संस्कृत

S.N o.	CANDIATE PHOTO	MERIT NO	NAME	FNAME	DOB	CATE	SEL_ CATE	H_ CATE	POSTING PLACE
1		3239-B	MAHAVEER SINGH CHOUHAN	BHEEM SINGH CHOUHAN	02.07.1979	GE,BL	GENM	BL	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALAU JATI, KALYANPUR, BARMER (220699)
2		3251-A	ANITA BAI MEENA	RAMDHAN MEENA	03.07.1989	ST,WE, BL,RG	STF	BL	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OSIAN, JODHPUR (220301)
3		2850-A	MADHU BALA BAJAJ	CHAKRAPANI BAJAJ	19.12.1980	GE,WE, DV	GENF	DV	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAPINI, JODHPUR (220306)
4		3235-A	DEEP KANWAR	NARAYAN SINGH	13.12.1972	GE,WE, WD	GENF	WD	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SHERGARH, JODHPUR (220226)
5		3239-C	REKHA DAVE	VIRENDRA KUMAR DAVE	23.01.1976	GE,WE, WD,RG	GENF	WD	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH,SAM, JAISALMER (220565)
6		3278-A	SANTOSH KUMARI MEENA	RAGHUNATH MEENA	02.04.1990	ST,WE, DV	STF	WD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAJKIYA UCCH MADHYAMIK VIDHAYALYA DECHU, JODHPUR (220240)
7		3293-A	SUMAN KUMARI MEENA	BALRAM MEENA	01.01.1985	ST,WE, DV	STF	WD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHUDIYALA BALESAR, JODHPUR (220254)
8		3304-A	KUSUM MEENA	AMBA LAL MEENA	02.08.1988	ST,WE, DV	STF	WD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANOD, GIDA, BARMER (220618)
9		3308-A	SEEMA MEENA	KAMAL RAM MEENA	05.01.1986	ST,WE, DV	STF	WD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMA, FATHEGARH, JAISALMER (220535)
10		1413-A	SEEMA KUMARI	RAJENDRA PRASSAD	02.09.1983	GE,WE, RG	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHIMPSAR BAITU, BARMER (220599)



कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर

पुलिस लाईन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राजस्थान

क्रमांक:-ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईए/आरपीएससी 2016 रिशफल/व0अ0 संस्कृत/23/837 दिनांक:- 21.07.2023

विषय – संस्कृत

S.N o.	CANDIATE PHOTO	MERIT NO	NAME	FNAME	DOB	CATE	SEL_ CATE	H_ CATE	POSTING PLACE
11		1420-1B	MOTI SINGH	BHAGWAN SINGH	25.06.1979	GE,RG,	GENM		GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NACHNA, JAISALMER (220431)
12		1420-C	BHARAT KUMAR DERASRI	SUMER MAL	02.10.1984	GE	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL OGALA, FAGLIYA, BARMER (220970)
13		2054-1C	BRIJ RAJ MALAV	MATHURA LAL MALAV	07.07.1978	BC,RG, NG	OBCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AKADARA, BAITU, BARMER (220590)
14		2056-A	HARI RAM	GOKUL RAM	07.07.1987	BC,RG,	OBCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THOB, KALYANPUR BARMER (220688)
15		2819-A	MANOJ KUMAR	SHANKAR LAL	01.07.1990	SC	SCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHARA MAHECHAN, SINDHARI, BARMER (220773)

प्रेमचन्द्र साखंला
संभागीय संयुक्त निदेशक
(स्कूल शिक्षा) जोधपुर

